(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी आर.एन./6-4/आर.1/95 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-11-94 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 173/90-91/अपील.

शौकत खां आत्मज हाजी रूस्तम खां
निवासी ग्राम खिराला
तहसील पंधाना जिला खण्डवा .....आवेदक

विरूद्ध

1. जेनत बी पति हाजी गनी
2. नूर मोहम्मद पिता हाजी गनी
   निवासीगण ग्राम खिराला
   तहसील पंधाना जिला खण्डवा
3. अब्दुल गफ्फार पिता हाजी गनी
   निवासी सेंधवा
4. जेनत बी पति अब्दुल रसीद
   निवासी बम्बई (महराष्ट्र)
5. खातूल बी पति अब्दुल रहमान
   निवासी हरदा जिला हरदा
6. रजिया बानो पति यूसुफ
   निवासी सेंधवा
7. अख्तर पति उस्मान उर्फ इब्राहिम
   निवासी नागपुर (महाराष्ट्र)
8. हाजिरा पति मोहम्मद इकबाल
   निवासी ग्राम खिराला
   तहसील पंधाना तहसील खण्डवा .....अनावेदकगण

श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-11-94 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पंधाना के अपील प्रकरण क्रमांक 11/90-91 में पारित आदेश दिनांक 9-8-91 के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 173/90-91/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक क्रमांक 4 जेनत बी एवं अनावेदक क्रमांक 7 अख्तर की मृत्यु होने के उपरांत उनके वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने हेतु समय बाह्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28-11-94 को आदेश पारित कर प्रकरण उपशमन मान्य कर निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण में शेष पत्यर्थीगण जीवित होने के बावजूद भी मात्र मृतक अनावेदक क्रमांक 4 व 7 के वारिसों को समयावधि में रिकार्ड पर नहीं लाने के आधार पर सम्पूर्ण अपील को उपशमित मानकर निरस्त करने में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 द्वियम 4 उपनियम (3) का उल्लंघन किया गया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तथ्य एवं न्याय दृष्टान्त को नहीं मानकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित करने में गंभीर भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि उभय पक्ष के मध्य विधिक प्रश्न का निराकरण होना है, ऐसी स्थिति में मात्र दो अनावेदकों की मृत्यु होने के आधार पर सम्पूर्ण अपील को उपशमित मानने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 4 की मृत्यु दिनांक 4-12-92 एवं अनावेदक क्रमांक 7 की मृत्यु दिनांक 8-11-91 को होने की जानकारी आवेदक को सर्वप्रथम दिनांक 6-8-94 को अनावेदक क्रमांक 2 के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त को इस संबंध में अवगत कराये जाने पर ही प्राप्त हुई है । चूंकि दोनों अनावेदकों का अपने पति से तलाक होकर दूसरे पति से शादी की गई थी, इसलिए आवेदक को जानकारी लेने में 23 दिन का समय लगा और उसके द्वारा दिनांक 30-8-94 को जानकारी दिनांक से 90 दिवस में परिसीमा अधिनियम की धारा 137 के अनुसार समयावधि में मृतक अनावेदकों के वारिसों को अभिलेख पर लेने हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा

अवैधानिकता की गई है, अतः न्यायिक प्रक्रिया विफल न हो और आवेदक को न्याय प्राप्त हो सके, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आर्टिकल 120 व 121 को ही देखा है, आर्टिकल 137 पर कोई विचार नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिक भूल की गई है । तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 855-पीबीआर/14 में पारित आदेश दिनांक 3-9-15 की प्रति प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर व्यहवार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 30-8-94 स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण किये जाने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा मृतक अनावेदक क्रमांक 4 व 7 के विधिक वारिसान को नियत समयावधि में अभिलेख पर लाने की कार्यवाही नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा मृतकों के वारिसान को अभिलेख पर लेने हेतु समय बाह्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु विलम्ब की माफी हेतु उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा विवेचना उपरान्त स्पष्ट आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 4 एवं 7 के अतिरिक्त अन्य पक्षकार भी हैं, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा अन्य पक्षकारो के जीवित होने के उपरान्त भी सम्पूर्ण अपील उपशमित मानकर निरस्त किया गया है, जिससे विधिक प्रश्न का निराकरण नही होने से जीवित पक्षकारों के हित प्रभावित हुए है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं उचित नहीं कहा जा सकता । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह केवल मृत पक्षकार, जिनके वारिसान समय-सीमा में अभिलेख पर नहीं लाये गये हैं, के विरूद्ध प्रकरण उपशमित मानकर, शेष पक्षकारों के मध्य गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर